अपील सूचना अधिकार संख्या 103/2021(GCMS 2021/157)(आरटीआई नं. 21252705500l125) श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल, जाति अग्रवाल आयु 72 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर (पोस्टल ऑर्डर नं. 52एफ/509319) बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

24.05.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 17.06.2021 से पांच बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 17.06.2021 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न पाचं बिन्दुओं की सूचना चाही थीः

1. प्रार्थी का पत्रांक 11.04.2014 आकपे कार्यालय में रजिस्टर्ड पत्र से प्रेषित करने पर, आपके पत्र प्राप्ति का क्रमांक व दिनांक की सूचना व प्रमाणित प्रति।
2. पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार व अधिकारी का नाम व पद की सूचना।
3. प्रार्थी का पत्र प्राप्ति से लेकर दिनांक 11.05.2020 तक जो जो कार्यवाही जिस जिस कर्मकार द्वारा की गई है, उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:03:29 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

4. बीएलओ बैंककर्मी, दी गंगानगर केन्द्रीय सहकार बैंक लि., श्रीगंगानगर सुभाष चन्द द्वारा विधानसभा चुनाव 2013 में बाल श्रमिक से मतदाता पर्ची वितरण करवाने का कथन स्वीकर करने एवं जाचं में दोषी पाये जाने पर भी जो कार्यवाही की गयी है, उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
5. प्रार्थी के पत्रांक में अंकित तथ्य कि विधानसभा चुनाव 2013 में प्रभारी आदर्श आचार संहिता व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर बीएलओ को मतदाता पर्चीया बाल श्रमिक से वितरित करवाने का दोषी मान लाने पर भी विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही जिस विभागीय अधिनियम के अन्तर्गत पूर्णरूपेण कार्यवाही बीएलओ के विरूद्ध न किये जाने के नियम की सूचना व प्रमाणित प्रति।

जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ37(03)(20) (RTI)निर्वा/2021/783 दिनांक 01.07.2021 से अपीलार्थी को अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में आपके प्रार्थना पत्र आवेदन दिनांक 21.06.2021 के सम्बन्ध में बिन्दुवार प्रत्युत्तर निम्नानुसार है :

क्र.स.	चाही गई सूचना	प्रत्युत्तर
1	प्राथी प्रार्थी का पत्रांक 11.04. 2014 आपके कार्यालय में रजिस्टर्ड पत्र से प्रेषित [illegible] पर, आपके पत्र प्राप्ति का क्रमांक [illegible] व प्रमाणित प्रति।	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(9) के प्रावधानान्तर्गत ऐसी सूचना जिसकी आपूर्ति से लोक प्राधिकारी के संसाधनों का अनपेक्षित ढंग से विचलन होता है, वह सूचना नहीं दी जा सकती।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:03:29 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

2	पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार व अधिकारी का नाम व पद की सूचना।	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(9) के प्रावधानान्तर्गत ऐसी सूचना जिसकी आपूर्ति से लोक प्राधिकारी के संसाधनों का अनपेक्षित ढंग से विचलन होता है, वह सूचना नहीं दी जा सकती।
3	प्रार्थी का पत्र प्राप्ति से लेकर दिनांक 11.05.2020 तक जो जो कार्यवाही जिस जिस कर्मकार द्वारा की गई है, उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(9) के प्रावधानान्तर्गत ऐसी सूचना जिसकी आपूर्ति से लोक प्राधिकारी के संसाधनों का अनपेक्षित ढंग से विचलन होता है, वह सूचना नहीं दी जा सकती।
4	बीएलओ बैंककर्मी, दी गंगानगर केन्द्रीय सहकार बैंक लि., श्रीगंगानगर सुभाष चन्द द्वारा विधानसभा चुनाव 2013 में बाल श्रमिक से मतदाता पर्ची वितरण करवाने का कथन स्वीकर करने एवं जाचं में दोषी पाय जाने पर भी जो कार्यवाही की गयी है, उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।	लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना स सूचना की व्याख्याा करना एवं ऐसे खोजे गये तथ्य आवेदक को उपलब्ध करवाना अधिनियम के कार्य क्षेत्र से बाहर है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2च के अनुसार सूचना वही देय है, जिस पर लोक प्राधिकारी की पहुच हो अर्थात दूसरें शब्दों में सूचना वही देय है जो अभिलेखों में उपलब्ध हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:03:29 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

5	प्रार्थी के पत्रांक में अंकित तथ्य कि विधानसभा चुनाव 2013 में प्रभारी आदर्श आचार संहिता व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर बीएलओ को मतदाता पर्चीया बाल श्रमिक से वितरित करवाने का दोषी मान लोन पर भी विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही जिस विभागीय अधिनियम के अन्तर्गत पूर्णरूपेण कार्यवाही बीएलओ के विरूद्ध न किये जाने के नियम की सूचना व प्रमाणित प्रति।	लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूजना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना एवं ऐसे खाजे गये तथ्य आवेदक को उपलब्ध करवाना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2च के अनुसार सूचना वही देय है, जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो अभिलेखों में उपलब्ध हो।

-sd-

(भवानी सिंह पंवार)
लोक सूचना अधिकारी एवं
उप जिला निर्वाचन अधिकारी
श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 783 दिनांक 01.07.2021 से अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए**। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और [illegible] सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि [illegible] रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास [illegible] सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्य को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के**

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:03:29 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को जो जवाब दिया गया है, वह सही है जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति **लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर** को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 24.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:03:29 IST
Reason: SelfAttested